

आउट कम बजट प्रारूप 2018-19

विभाग का नाम— समाज कल्याण।
केन्द्रपोषित योजनायें—

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.5

(धनराशि रु.लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास की योजना (100प्रतिशत के०स०)	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना।	2000.00	—		20500 (छात्र/छात्रा)	2813 (छात्र/छात्रा)	20500 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
2.	निःशक्तजन अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन (100 प्रतिशत के०स०)	निःशक्तजनों को सार्वजनिक स्थलों में बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना।	220.00	—		10 (निर्माण कार्य)	—	10 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
3.	समेकित बाल संरक्षण योजना (100 प्रतिशत के०स०)	समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना	1000.00	—		785 (बालक/ बालिकायें)		785 (बालक/ बालिकायें)	वित्तीय वर्ष
4.	डा० अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के०स०)	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्रदान करना।	2000.00	—		23000 (छात्र/छात्रा)	—	23000 (छात्र/छात्रा)	वित्तीय वर्ष
5.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (100प्रतिशत के०स०)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बी०पी०एल० निराश्रित वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	10820.00	—	1.3b 1	275000 (पेंशनर)	256089 (पेंशनर)	275000 (पेंशनर)	त्रैमासिक

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
6.	जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण (50 प्रतिशत के0स0)	पिछड़े वर्गों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	—	50.00		1 (छात्रावास निर्माण)	—	1 (छात्रावास निर्माण)	वित्तीय वर्ष
7.	समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत ग्रहों का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)	समेकित बाल संरक्षण में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बालकों संरक्षण दिये जाने हेतु गृह का निर्माण।	—	500.00		3 (निर्माण कार्य)	—	3 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
8.	अनुसूचित जाति के विकास की योजना (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।	15000.00	—		125000 (छात्र/छात्रा)	34962 (छात्र/छात्रा)	125000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
9.	अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को स्वतःरोजगार के लिये मार्जिन मनी की धनराशि उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।	160.00	—		250 (लाभार्थि)	250 (लाभार्थि)	250 (लाभार्थि)	वित्तीय वर्ष
10.	बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	—	1000.00		3 (निर्माण कार्य)	—	3 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष

राज्य सेक्टर की योजनायें—

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम		समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत							
1.	मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना तथा जनपद स्तरीय इकाईयों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु निर्देशित करना	443.71	—		निदेशक — 1 अपर निदेशक— 2 संयुक्त निदेशक— 2 उप निदेशक— 4 मुख्य वित्त नियंत्रक— 1 सहायक निदेशक— 2 संख्याधिकारी— 1 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी— 3 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 3 वैयक्तिक अधिकारी— 1 वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 2 वैयक्तिक सहायक 4 लेखाकार— 2 वरिष्ठ सम्प्रेक्षक— 1 सहायक लेखाकार— 2 सम्प्रेक्षक / लेखाकार— 1 प्रशासनिक अधिकारी— 2 प्रधान सहायक— 4 वरिष्ठ सहायक— 4 कनिष्ठ सहायक— 7 वाहन चालक— 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— 9	निदेशक — 1 उप निदेशक— 2 मुख्य वित्त नियंत्रक— 1 सहायक निदेशक— 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 5 लेखाकार— 2 प्रशासनिक अधिकारी— 2 वैयक्तिक अधिकारी— 1 वैयक्तिक सहायक 3 प्रधान सहायक— 4 वरिष्ठ सहायक— 4 कनिष्ठ सहायक— 5 वाहन चालक— 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— 7	निदेशक — 1 अपर निदेशक— 2 संयुक्त निदेशक— 2 उप निदेशक— 4 मुख्य वित्त नियंत्रक— 1 सहायक निदेशक— 2 संख्याधिकारी— 1 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी— 3 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 3 वैयक्तिक अधिकारी— 1 वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 2 वैयक्तिक सहायक 4 लेखाकार— 2 वरिष्ठ सम्प्रेक्षक— 1 सहायक लेखाकार— 2 सम्प्रेक्षक / लेखाकार— 1 प्रशासनिक अधिकारी— 2 प्रधान सहायक— 4 वरिष्ठ सहायक— 4 कनिष्ठ सहायक— 7 वाहन चालक— 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— 9	वित्तीय वर्ष		
2.	जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	जनपद स्तर पर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, सम्पादन एवं अनुश्रवण करना	1599.55	—		जिला समाज कल्याण अधिकारी— 13 सहायक समाज कल्याण अधिकारी— 99 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 13 प्रशासनिक अधिकारी— 13 प्रधानसहायक— 20 वरिष्ठसहायक— 30 कनिष्ठ सहायक— 26	जिला समाज कल्याण अधिकारी— 13 सहायक समाज कल्याण अधिकारी— 73 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 10 प्रशासनिक अधिकारी— 9 प्रधानसहायक— 20 वरिष्ठसहायक— 26 कनिष्ठ सहायक— 15	जिला समाज कल्याण अधिकारी— 13 सहायक समाज कल्याण अधिकारी— 99 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 13 प्रशासनिक अधिकारी— 13 प्रधानसहायक— 20 वरिष्ठसहायक— 30 कनिष्ठ सहायक— 26	वित्तीय वर्ष		

						वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी	13 26		वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी	13 26		
3.	आई0टी0सैल की स्थापना	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का आनलाईन आवेदन एवं धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना	71.00	—		प्रोगाम मैनेजर— टेक्नीकल लीडर— डेवलेपर — कनिष्ठ सहायक— अनुसेवक—	1 1 3 1 1	प्रोगाम मैनेजर— डेवलेपर कनिष्ठ सहायक— अनुसेवक—	1 1 1 1	प्रोगाम मैनेजर— टेक्नीकल लीडर— डेवलेपर — कनिष्ठ सहायक— अनुसेवक—	1 1 3 1 1	वित्तीय वर्ष
4.	उत्तराखण्ड बहुउददेशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वतः रोजगार हेतु ऋण तथा कौशल बृद्धि प्रशिक्षण देकर आर्थिक लाभ प्राप्त कराना।	50.00	—		50 (व्यक्ति)		वित्तीय वर्ष		50 (व्यक्ति)		वित्तीय वर्ष
5.	उत्तरांचल अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अधिष्ठान	पिछड़े वर्ग के समस्याओं के निराकरण एवं उत्थान करना	114.44	—		सचिव— वैयक्तिक सहायक वरिष्ठ सहायक— लेखाकार — वाहन चालक— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—	1 1 1 1 1 1	सचिव— वरिष्ठ सहायक— कनिष्ठ सहायक— वाहन चालक— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—	1 1 1 1 1	सचिव— वैयक्तिक सहायक वरिष्ठ सहायक— लेखाकार — वाहन चालक— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—	1 1 1 1 1	वित्तीय वर्ष
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त कराना	1000.00	—		11200 (छात्र/छात्रा)		1352 (छात्र/छात्रा)		11200 (छात्र/छात्रा)		शैक्षणिक सत्र

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
7.	पिछडी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति	पिछडे वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं तर्दथ अनुदान देकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना	290.00	-		16000 (छात्र/छात्रा)	-	16000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
8.	अति पिछडा वर्ग कल्याण परिषद का गठन	पिछडे वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं क्रियान्वन करना	13.50	-		-	-	-	वित्तीय वर्ष
9.	गोरखा कल्याण परिषद	गोरखा जाति के कल्याण हेतु समुचित कार्य करना	5.00	-		-	-	-	वित्तीय वर्ष
10.	शहीद ऊधमसिंह कम्बोज छात्रवृत्ति हेतु कारपस फण्ड की स्थापना	कम्बोज जाति के पिछडे वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	5.00	-		1 (कारपस फण्ड)	-	1 (कारपस फण्ड)	वित्तीय वर्ष
11.	बाबा साहेब फूले योजना	निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	5.00	-		1 (कारपस फण्ड)	-	1 (कारपस फण्ड)	वित्तीय वर्ष
12.	राजा सुहेलदेव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड की स्थापना	पिछडी जाति के निर्धन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करना	5.00	-		1 (कारपस फण्ड)	-	1 (कारपस फण्ड)	वित्तीय वर्ष
13.	कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	5.81	-		42 (परिवार)	42 (परिवार)	42 (परिवार)	मासिक
14.	विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र	दिव्यांगों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	128.81	-		150 (दिव्यांग व्यक्ति)	22 (दिव्यांग व्यक्ति)	150 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
15.	दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना।	7.00	—		40 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	22 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	40 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	प्रत्येक वर्ष
16.	दिव्यांग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	विवाहित दिव्यांग युवक/ युवतियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु पुरस्कृत करना	50.00	—		200 (दम्पति)	115 (दम्पति)	200 (दम्पति)	वित्तीय वर्ष
17.	दिव्यांगजनों हेतु शिविर एवं सेमीनारों का आयोजन	सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना	3.00	—		30 (शिविर)	12 (शिविर)	30 (शिविर)	वित्तीय वर्ष
18.	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	दिव्यांगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कराना	40.00	—		2500 (छात्र/छात्रा)	190 (छात्र/छात्रा)	2500 (छात्र/छात्रा)	वित्तीय वर्ष
19.	दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	दिव्यांग जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना	59.82	—		दिव्यांगजन आयुक्त 1 विधि सहायक 1 वरिष्ठ सहायक 1 कनिष्ठ सहायक 1 वाहन चालक 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1	दिव्यांगजन आयुक्त 1 वरिष्ठ सहायक 1 कनिष्ठ सहायक 1 वाहन चालक 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1	दिव्यांगजन आयुक्त 1 विधि सहायक 1 वरिष्ठ सहायक 1 कनिष्ठ सहायक 1 वाहन चालक 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1	वित्तीय वर्ष
20.	दिव्यांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	25.00	—		50 (व्यक्ति)	—	50 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
21.	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	दिव्यांगों हेतु रैम्प का निर्माण कर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना	50.00	—		13 (निर्माण कार्य)	5 (निर्माण कार्य)	13 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
22.	निःशक्त जनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में की गयी निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति	दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना	250.00	—		300000 (दिव्यांग व्यक्ति)	288705 (दिव्यांग व्यक्ति)	300000 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
23.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र अनुदान	दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	50.00	—		1430 (दिव्यांग व्यक्ति)	773 (दिव्यांग व्यक्ति)	1430 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
24.	नेत्रहीन,मूक,बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के भरण पोषण हेतु अनुदान	निर्धन दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना	8681.01	—	1.3b 3	70000 (दिव्यांग पेंशनर)	67451 (दिव्यांग पेंशनर)	70000 (दिव्यांग पेंशनर)	त्रैमासिक
25.	परीवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का संचालन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वन करना	274.65	—		जिला प्रोबेशन अधिकारी— 13 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 4 प्रशासनिक अधिकारी—7 वरिष्ठ सहायक— 13 प्रधान सहायक— 13 कनिष्ठ सहायक— 13 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी—13	जिला प्रोबेशन अधिकारी— 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 2 प्रशासनिक अधिकारी— 5 वरिष्ठ सहायक—10 प्रधान सहायक— 12 कनिष्ठ सहायक—10 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी— 5	जिला प्रोबेशन अधिकारी— 13 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 4 प्रशासनिक अधिकारी— 7 वरिष्ठ सहायक—13 प्रधान सहायक—13 कनिष्ठ सहायक—13 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी— 13	वित्तीय वर्ष
25.	बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	बालकों का संरक्षण प्रदान करना	56.16	—					वित्तीय वर्ष
26.	संस्थानों/गृहों का संचालन	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना	911.35	—		1310 (बालक,बालिका एवं महिलायें)	450 (बालक,बालिका एवं महिलायें)	1310 (बालक,बालिका एवं महिलायें)	वित्तीय वर्ष
27.	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृहों का संचालन	स्ट्रीट चिल्ड्रन के उत्थान हेतु गृह का संचालन कर रही हैं संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना	20.00	—		2 (स्वैच्छिक संस्था)	—	2 (स्वैच्छिक संस्था)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
28.	किशोर न्याय निधि की स्थापना	निधि से असहाय किशोरों को संरक्षण दिया जायेगा।	20.00	-		1 (निधि)	1 (निधि)	1 (निधि)	वित्तीय वर्ष
29.	महिलाओं के मूल्यांकन की योजना	घरेलु उत्पादन करने वाली महिलाओं का मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण करना	0.48	-		कनिष्ठ सहाय- 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1	कनिष्ठ सहाय- 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1	वित्तीय वर्ष
30.	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन उद्धार संगठनों की स्थापना।	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन कर महिलाओं के उद्धार करना	4.38	-		वरिष्ठ सहायक- 1 कनिष्ठ सहाय- 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1	कनिष्ठ सहाय- 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1	वरिष्ठ सहायक- 1 कनिष्ठ सहाय- 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1	वित्तीय वर्ष
31.	मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय एवं समुचित देखभाल करना	137.20	-		120 (महिलायें)	120 (महिलायें)	120 (महिलायें)	वित्तीय वर्ष
32.	निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	निर्धन निराश्रित विधवाओं को उनके तथा बच्चों के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	18913.10	-	1.3b 2	152000 (विधवा पेंशनर)	147767 (विधवा पेंशनर)	152000 (विधवा पेंशनर)	वित्तीय वर्ष
33.	विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्न्तवासियों का पुर्नवासन	संस्थाओं में निवासरत संवासियों को पुर्नवासित करना	20.00	-		25 (महिलायें)	15 (महिलायें)	25 (महिलायें)	वित्तीय वर्ष
34.	महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहित करना	5.00	-		50 (महिलायें)	-	50 (महिलायें)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का ना	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
35.	परिवीक्षा क्षेत्र मुख्यालय का अधिष्ठान	महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं का अनुश्रवण, कियान्वयन एवं संचालन करना	73.04	—		मुख्य परिवीक्षा अधिकारी— 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—1 प्रशासनिक अधिकारी— 1 प्रधान सहायक 1 वैयक्तिक सहायक 1 वृष्टि सहायक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 वाहन चालक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— 4	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी— 1 प्रशासनिक अधिकारी— 1 प्रधान सहायक 1 वैयक्तिक सहायक 1 वृष्टि सहायक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 वाहन चालक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— 4	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी— 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी— 1 प्रशासनिक अधिकारी— 1 प्रधान सहायक 1 वैयक्तिक सहायक 1 वृष्टि सहायक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 वाहन चालक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— 4	वित्तीय वर्ष
36.	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना	402.00	—		3700 (पेंशनर)	2455 (पेंशनर)	3700 (पेंशनर)	वित्तीय वर्ष
37.	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयो की शादी हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयो की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	40.00	—		80 (महिलायें)	9 (महिलायें)	80 (महिलायें)	वित्तीय वर्ष
38.	वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	निराश्रित वृद्धजनों को आश्रय उपलब्ध कराना	40.16	—		100 (वृद्ध व्यक्ति)	21 (वृद्ध व्यक्ति)	100 (वृद्ध व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
39.	भिक्षावृत्ति का निवारण	भिक्षावृत्ति का निवारण करना	80.60	—		200 (भिक्षुक)	300 (भिक्षुक)	200 (भिक्षुक)	वित्तीय वर्ष
40.	मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	22.00	—		2 (संस्थायें)	2 (संस्थायें)	2 (संस्थायें)	वित्तीय वर्ष
41.	अनाथों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	विभाग द्वारा लावारिस शवों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	10.00	—		—	116 (व्यक्ति)	—	वित्तीय वर्ष
42.	मनसिक रूप से विक्रिप्त व्यक्तियों/महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	विभाग द्वारा ऐसी स्वैच्छिक संस्था जो मानसिक रूप से विक्रिप्त व्यक्तियों/महिलाओं को आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रही है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना	30.00	—		120 (महिलायें)	120 (महिलायें)	120 (महिलायें)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्रं.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
43.	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	500.00	—		1000 (निराश्रित विधवा)	300 (निराश्रित विधवा)	1000 (निराश्रित विधवा)	वित्तीय वर्ष
44.	अन्तर्जातीय /अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु अनुदान	समाज में समरसता लाने हेतु अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना	20.00	—		40 (दम्पति)	25 (दम्पति)	40 (दम्पति)	वित्तीय वर्ष
45.	विकलांग बेरोजगारों को कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजना	विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना	20.00	—		80 (दिव्यांग व्यक्ति)	—	80 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
46.	योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार-प्रसार	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराना	10.00	—		—	—	—	वित्तीय वर्ष
47.	समाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन	निर्धन, निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	50670.50	—	1.3b 1	455000 (वृद्ध पेंशनर)	442339 (वृद्ध पेंशनर)	455000 (वृद्ध पेंशनर)	त्रैमासिक

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	उद्देश्य	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
48.	किसान पेंशन योजना	ऐसे निर्धन किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं उनको पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	535.00	—	1.3b 4	20000 (किसान पेंशनर)	20746 (किसान पेंशनर)	20000 (किसान पेंशनर)	त्रैमासिक
49.	पर्वतीय क्षेत्रों में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों को पेंशन	पुरोहिती का कार्य कर रहे पुरोहितों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	10.00	—		100 (पुरोहित पेंशनर)	—	100 (पुरोहित पेंशनर)	त्रैमासिक
50.	डंगरियों एवं जगरियों को मासिक पेंशन	डंगरियों एवं जगरियों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	300.00	—		2500 (व्यक्तियों को पेंशन)	—	2500 (व्यक्तियों को पेंशन)	त्रैमासिक
51.	पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूजी	निगम की अधिकृत अंशपूजी की पूर्ति करना	—	20.00		—	—	—	वित्तीय वर्ष
52.	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण	स्ट्रीट चिल्ड्रन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	100.00		1 (निर्माण कार्य)	—	1 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
53.	10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	किशोरों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा	—	50.00		1 (निर्माण कार्य)	—	1 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
54.	किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ग्रहों का निर्माण	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का निर्माण कर बालकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी।	—	50.00		2 (निर्माण कार्य)	—	2 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
55.	18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	बालिकाओं को आश्रय दिये जाने हेतु उत्तर रक्षा गृह का निर्माण	—	100.00		1 (निर्माण कार्य)	—	1 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
56.	समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण करना	25.00	—		सचिव— 1 वैयक्तिक सहायक— 2 लेखाकार— 1 कनिष्ठ सहायक— 2 चतुर्थश्रेण कर्मचारी— 1	सचिव— 1 वैयक्तिक सहायक— 1 लेखाकार— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 चतुर्थश्रेण कर्मचारी— 1	सचिव— 1 वैयक्तिक सहायक— 2 लेखाकार— 1 कनिष्ठ सहायक— 2 चतुर्थश्रेण कर्मचारी— 1	वित्तीय वर्ष
57.	अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की स्थापना	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग की स्थापना	80.63	—		सचिव— 1 वैयक्तिक सहायक— 1 लेखाकार— 1 वरिष्ठ सहायक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 वाहन चालक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—4	सचिव— 1 वरिष्ठ सहायक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 वाहन चालक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—4	सचिव— 1 वैयक्तिक सहायक— 1 लेखाकार— 1 वरिष्ठ सहायक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 वाहन चालक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—4	वित्तीय वर्ष
58.	औद्योगिक आस्थान की स्थापना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना	13.17	—		सहायक प्रबन्धक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—1	कनिष्ठ सहायक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—1	सहायक प्रबन्धक— 1 कनिष्ठ सहायक— 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—1	वित्तीय वर्ष
59.	अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति	दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	2000.00	—		32000 (छात्र/छात्रा)	—	32000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.स.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
60.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	331.33	—	4.1h to 4.1 o	456 (छात्र)	307 (छात्र)	456 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
61.	आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।	603.31	—	4.1h to 4.1 o	620 (छात्र)	328 (छात्र)	620 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
62.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कौचिंग प्रदान करना	82.50	—		300 (छात्र/छात्रा)	—	300 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
63.	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास	अनुसूचित जाति के छात्रों को निः शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	296.87	—		750 (छात्र)	480 (छात्र)	750 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
64.	अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना	2000.00	—		275000 (छात्र/छात्रा)	34909 (छात्र/छात्रा)	275000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
65.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना	अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी पैटर्न की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना	167.42	—	4.1h to 4.1 o	175 (छात्र)	87 (छात्र)	175 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
66.	पुस्तकालयों, पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	स्वैच्छिक संस्थायें जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है को अनुदान देकर लाभान्वित करना	137.00	—		10 (संस्थायें)	14 (संस्थायें)	10 (संस्थायें)	शैक्षणिक सत्र
67.	अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।	40.00	—		50 (व्यक्ति)	—	50 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
68.	शिल्पी ग्राम योजना	परम्परागत शिल्पीयों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता पहुँचाना	25.00	—		50 (व्यक्ति)	—	50 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
69.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन	अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	180.00	—		—	4 (परिवार)	—	वित्तीय वर्ष
70.	अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याणार्थ संचालित सेमिनार, कार्यशाला, शोध प्रचार प्रसार	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार- प्रसार करना	15.00	—		—	—	—	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस.डी.जी. Goal / Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 की स्थिति (बेसलाईन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
71.	अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना।	500.00	—		1400 (परिवार)	—	1400 (परिवार)	वित्तीय वर्ष
72.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1500.00	—		3000 (परिवार)	1000 (परिवार)	3000 (परिवार)	वित्तीय वर्ष
73.	गौरा देवी कन्याधन योजना	आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा पोत्साहन हेतु कन्याधन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना	5304.50	—		10609 (बालिकायें)	9809 (बालिकायें)	10609 (बालिकायें)	वित्तीय वर्ष
74.	स्वरोजगार अंशपूजी	निगम को उसकी अधिकृत अंशपूजी पूर्ण करने हेतु धनराशि का उपलब्ध कराना।	—	30.00		—	—	—	वित्तीय वर्ष
75.	अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण	अनुसूचित जाति के बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	200.00		1 (निर्माण कार्य)	—	1 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष
76.	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना	—	2000.00		150 (निर्माण कार्य)	—	150 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष